न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढी(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री बंजरग लाल वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30 / 2014

उनवान मुकदमा

1. प्रभुलाल पिता धनजी जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा ।
2. नाथुलाल पिता धनजी जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. सुखलाल पिता थानीया जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।
4. गेन्दाल पिता थानीया जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।

— वादीगण

बनाम

1 कानजी पिता रंगा आदिवासी निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

2 तहसीलदार साहब गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.का. अधिनियम

निर्णय

दिनांक 10.02.16

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 रा.का. अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा नंम्बर एक में वर्णित वादीगण के संयुक्त कब्जे स्वामित्व की भुमी खाता संख्या 87 नया 54 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 1370 रकबा 0.29 हैक्टर वाके गांव सैनाला तहसील गढी में स्थित है। उक्त भूमि जिस पर वादीगण के संयुक्त खाते की कृषि भुमि है जिसमें किसी प्रकार का कोई बटवारा नही हुआ है और वादीगण खातेदार कृषि कर कमाते आ रहे है। आज से 8 रोज पूर्व उक्त भुमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण की बिना किसी जानकारी के जबरन प्रत्थर डालकर निर्माण कर मकान बनाने आमादा हो गया । वादीगण को जानकारी होने से पर रोकने गये तो प्रतिवादी नम्बर 1 मग्ने मारने पर उतारू हो गया है और प्रतिवादी को वादीगण व गांव के लोगो ने बहुत समझाया परन्तु प्रतिवादी समझने को तैयार नही है वह कहता है जमीन मेरी है इसे मै लेकर रहुगा। वादीगण के हक की भुमि हडपने आमादा होकर जबरन कब्जा करने की नियत से जबरन प्रत्थर डालकर निर्माण कर मकान बनाने का प्रयास र हमारी उक्त भूमि को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया एंव झगडा कर रहा है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी को उक्त सर्वे नम्बर की वादीगण की भुमी में अनाधिकृत रूप से अतिकमण करने से नही रोका गया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकन सभव नही हो सकेगा व वादी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगें। यह वाद पत्र हस्ब 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश है। वादीगण बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करते रहे है। व वादीगण अपने परिवार का भरण पोषण कर आजीविका का कोई स्त्रोत नही है। वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि भुमि मे वादीगण का हक व अधिकार है। प्रतिवादी नम्बर 1 कानून अपने हाथ में लेकर वादीगण की संयुक्त कृषि भुमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है एंव वादीगण को अपनी भुमि के उपयोग व उपभोग करने में अवरोध पैद कर काश्त करने नही दे रहा है व वादीगण एंव उनके परिवार को उक्त कृषि भुति को छोडकर चले जाने को मजबूर कर रहा है। वादीगण को वाद हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा चार रोज पूर्व उक्त भुमि पर जबरन अवैध रूप से प्रवेश कर जबरन पत्थर डालकर निमार्ण कर मकाने बनाने आमादा होकर उक्त भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर लडाई झगडा करने पर उतारू होने से उत्पन्न हुआ है। दावा अन्दर म्याद पेश है खातेदार वेस्ती बेवा थानीया एंव लकम बेवा धनजी की मृत्यु हो जाने से पक्षकार नही बनाया गया है प्रतिवादी नम्बर 2 भुमिधारी होने से प्रतिवादी बनाया गया है। वादग्रस्त भुमि गांव सैनाला में स्थित है। व पत्र न्यायालय के क्षैत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है। दावे की मालियतवास्ते हद समायत अदालत व के अनुसार न्याय शुल्क रूपया 1/— पर पे

प्रतिलिपि

जबरन पत्थर डालकर निर्माण कर मकान बनाने का प्रयास नही करे, निर्माण झगडा नही करे व शांन्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नही करावे। प्रतिवादी दौराने कार्यवाही उक्त भुमि पर निर्माण करने पर उसे तुडवाने उक्त भुमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने की डिकी हस्ब धारा 209 रा.अधिनियम प्रतिवादी सादीर फरमावे व अन्य न्यायोचित दादरसी जो न्यायालय उचित समझे दिलावे।

इस पर वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर टी एक्ट दर्ज रजिस्टर किया तलबी जरिये समन की गई। प्रतिवादीगण जरिये वकील हाजीर आये जिन्हे जवाब दिया गया था। आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण हाजीर न आने के कारण कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष में जमाबन्दी संवत 2069--72 पेश की। वादी 1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विद्ववान वकील वादी की बहस एक जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.29 हैक्टर स्वामित्व मे संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिस पर वादी का कब्जा होना बताया जवाब दावा पेश नही किया है, न ही कोई साक्ष्य पेश कर वादी के अनुतोष का मामले में दस्तावेजी साक्ष्यं व रेकार्ड पर आये तथ्य के अनुसार विवादित आराजी आधिपत्य की होना साबित जिस पर वादी का कब्जा काश्त वाद दायर करने से गया है। प्रतिवादीगण ने वादी के अनुतोष का किसी प्रकार से खण्डन नही किया की भुमि हडपने के लिये जबरन कब्जा रकने नियत से प्रत्थर डालकर मकान बनाने एंव झगडा कर रहा है, जिसके खिलाफ वादी स्थाई निषेघाज्ञा का अनुतोष चाहता स्वीकार किया जाता है एंव प्रतिवादी को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्ध किया जाता स्वामित्व व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.29 हैक्टर किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावत पेदा नही करे, जबरन पत्थर डालकर निर्माण नही करे, कोई निर्माण कार्य नही करे न ही ऐसा अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारन तद् अनुसार पर्चा डिकी जारी किया जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर लिखा गया।

सत्य प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जि.बांसवाडा

(बी.एल

उपखण्ड अ

अन्तिम डिग्री व मुकदमे की इब्तजाई

(ऑर्डर 20 रूल 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी**, मुकाम : **गढी** व इजलास बी.एल.वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2014

उनवान

1. प्रभुलाल पिता धनजी जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा ।
2. नाथुलाल पिता धनजी जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3. सुखलाल पिता थानीया जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।
4. गेन्दाल पिता थानीया जाति भील निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।

– वादीगण

बनाम

1. कानजी पिता रंगा आदिवासी निवासी सैनाला तहसील गढी जिला बांसवाडा ।
2. तहसीलदार साहब गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा ।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति – श्री पवन लुहार एडवोकेट वादी
श्री धर्मेन्द्रसिंह चौहानएडवोकेट प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.का. अधिनियम

वाद वादी गण स्वीकार किया जाता है एंव प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वह बादी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम सेनाला पर किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावत पेदा नही करे, जबरन पत्थर डालकर निर्माण कार्य करने का प्रयास नही करे, कोई निर्माण कार्य नही करे न ही ऐसा अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारन अपना अपना वहन करे। तद् अनुसार पर्चा डिक्री जारी केया जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर लिखा गया ।

(बी.एल.वर्मा)

मुहर

उपखण्ड अधिकारी गढी

दिनांक :–10.02.16

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टॉप की अर्जी दावा	–	स्टॉम्प वकालतनाा	–
स्टॉम्प वकालतनामा	–	स्टॉम्प अर्जी	–
स्टॉम्प वजह सबूत	–	मेहनताना वकील	–
मेहनताना वकील	–	गवाहान खर्च	–
खर्चा गवाहान	–	फिस कमिश्नर	–
फिस कमिश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	–
बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरीक	–	मुतफरीक	–

(बी.एल.वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी गढी